

राष्ट्रीय बीमा कंपनी लिमिटेड

बनाम

हरसोलिया मोटर और अन्य

(सिविल अपील सं. 5352-5353/2007)

अप्रैल 13, 2023

[न्या. अजय रस्तोगी और न्या. सी. टी. रविकुमार]

उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 1986 -धारा 2 (1) (घ)-प्रतिवादी (वाणिज्यिक उद्यम) ने अपीलकर्ता बीमा कंपनी से अग्नि बीमा पॉलिसी ली थी-प्रतिवादी को आग के कारण नुकसान हुआ-अपीलकर्ता ने प्रतिवादी के दावे का खंडन किया-प्रतिवादी ने मुआवजे के लिए राज्य आयोग के समक्ष शिकायत दर्ज की-राज्य आयोग ने अभिनिर्धारित किया कि प्रतिवादी यू/एस के रूप में परिभाषित "उपभोक्ता" नहीं था। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 1986 की धारा 2 (1) (घ) और शिकायत विचारणीय नहीं थी-तथापि, राष्ट्रीय आयोग ने अभिनिर्धारित किया कि प्रतिवादी एक "उपभोक्ता" था और शिकायत विचारणीय थी-उच्चतम न्यायालय के समक्ष मुद्दा यह था कि क्या प्रतिवादी (वाणिज्यिक उद्यम) द्वारा ली गई बीमा पॉलिसी "वाणिज्यिक उद्देश्य" के लिए सेवाओं को किराए पर लेने के बराबर है, जिससे यू/एस द्वारा परिभाषित "उपभोक्ता" अभिव्यक्ति के दायरे से बाहर रखा गया है। अधिनियम, 1986 का 2 (1) (डी)-आयोजित: "उपभोक्ता" शब्द की परिभाषा से किसी वाणिज्यिक उद्यम या ऐसे व्यक्ति को, जो अधिनियम, 1986 की खंड 2 (1) (एम) में परिभाषित "व्यक्ति"

अभिव्यक्ति के तहत आता है, केवल इसलिए कि वह एक वाणिज्यिक उद्यम है, इस तरह का कोई अपवर्जन नहीं है- प्रत्येक मामले की अपने तथ्यों और परिस्थितियों पर जांच की जानी चाहिए-यह निर्धारित करने की आवश्यकता है कि क्या बीमा सेवा का लाभ पैदा करने वाली गतिविधि के साथ घनिष्ठ और प्रत्यक्ष संबंध था और क्या लेन-देन का प्रमुख उद्देश्य या प्रमुख उद्देश्य बीमित व्यक्ति या लाभार्थी के लिए किसी प्रकार का लाभ पैदा करना था-तत्काल मामले में, बीमा पॉलिसी को काम पर रखना स्पष्ट रूप से नुकसान/क्षति के जोखिम की क्षतिपूर्ति करने के लिए एक अधिनियम है और लाभ सृजन का कोई तत्व नहीं है-राष्ट्रीय सरकार का निर्णय।

उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 1986-बीमा अनुबंध की प्रकृति- बीमा अनुबंध क्षतिपूर्ति के अनुबंध हैं जिनके द्वारा एक व्यक्ति दूसरे को नुकसान/क्षति या देयता के खिलाफ क्षतिपूर्ति करने का कार्य करता है। यह किसी अज्ञात या आकस्मिक घटना से उत्पन्न होता है और केवल भविष्य में आने वाली किसी आकस्मिकता या कार्य पर लागू होता है।

उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 1986-एक सामाजिक लाभ-उन्मुख विधान-पर चर्चा की गई।

शब्द और वाक्यांश-"उपभोक्ता", "वाणिज्यिक उद्देश्य"-चर्चा-उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 1986।

याचिकाओं को खारिज करते हुए अदालत ने

पकड़ना:1. इस प्रकार अधिनियम, 1986 के प्रावधानों को अधिनियम के उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए उपभोक्ता के पक्ष में समझा जाना चाहिए क्योंकि यह एक सामाजिक लाभ-उन्मुख कानून है। ऐसे अधिनियम के प्रावधानों का अर्थ लगाते समय न्यायालय/आयोग का प्राथमिक कर्तव्य एक रचनात्मक

दृष्टिकोण अपनाना है बशर्ते कि वह प्रावधानों की भाषा के साथ हिंसा न करे और अधिनियम के प्रयास के उद्देश्य के विपरीत न हो। [पैरा 24] [458-एफ]

2. इस प्रकार परिभाषित "उपभोक्ता" शब्द में वह व्यक्ति शामिल नहीं है, जो माल के मामले में पुनर्विक्रय या किसी वाणिज्यिक उद्देश्य के लिए ऐसी वस्तु प्राप्त करता है, या जो सेवा के मामले में, किसी भी वाणिज्यिक उद्देश्य के लिए ऐसी सेवाओं का लाभ उठाता है। उपरोक्त परिभाषा के साथ संलग्न एक स्पष्टीकरण में कहा गया है कि "वाणिज्यिक उद्देश्य" अभिव्यक्ति में ऐसी वस्तुओं के खरीदार या ऐसी सेवा या सेवाओं का लाभ उठाने वाले व्यक्ति द्वारा उपयोग शामिल नहीं है, विशेष रूप से स्व-रोजगार के माध्यम से अपनी आजीविका कमाने के उद्देश्य से। [पैरा 27] [460-एफ]

3. जिस बात का उल्लेख किया गया है वह यह है कि "उपभोक्ता" शब्द की परिभाषा से किसी वाणिज्यिक उद्यम या ऐसे व्यक्ति को ऐसा कोई अपवर्जन नहीं है जो अधिनियम, 1986 की खंड 2 (1) (एम) में परिभाषित "व्यक्ति" अभिव्यक्ति के तहत आता है क्योंकि यह एक वाणिज्यिक उद्यम है। इसके विपरीत, एक फर्म, चाहे वह पंजीकृत हो या न हो, एक ऐसा व्यक्ति है जो हमेशा अधिनियम, 1986 के अधिकार क्षेत्र का आह्वान कर सकता है, बशर्ते कि यह अधिनियम, 1986 की खंड 2 (1) (डी) के तहत परिभाषित "उपभोक्ता" अभिव्यक्ति के दायरे और दायरे में आता है। वर्तमान मामले में उपरोक्त सिद्धांतों को लागू करते हुए, यह निर्धारित करने की आवश्यकता है कि क्या बीमा सेवा का लाभ के साथ घनिष्ठ और प्रत्यक्ष संबंध है। गतिविधि उत्पन्न करना और क्या लेन-देन का प्रमुख उद्देश्य या प्रमुख उद्देश्य खरीदार और/या उनके लाभार्थी के लिए किसी प्रकार के लाभ सृजन की

सुविधा प्रदान करना था। यह तथ्य कि बीमित व्यक्ति एक वाणिज्यिक उद्यम है, इस निर्धारण से असंबंधित है कि क्या बीमा पॉलिसी को अधिनियम की खंड 2 (1) (डी) के दायरे में एक वाणिज्यिक उद्देश्य के रूप में गिना जाएगा। [पारस 36,37] [466-सी-एफ]

4. दो बातों का उल्लेख किया गया है; (i) क्या माल पुनर्विक्रय के लिए खरीदा गया है या वाणिज्यिक उद्देश्य के लिए; या (ii) क्या सेवाओं का उपयोग किसी वाणिज्यिक उद्देश्य के लिए किया गया है। दो गुना वर्गीकरण वाणिज्यिक उद्देश्य और गैर-वाणिज्यिक उद्देश्य है। यदि माल को पुनर्विक्रय या वाणिज्यिक उद्देश्य के लिए खरीदा जाता है, तो ऐसे उपभोक्ता को अधिनियम, 1986 के दायरे से बाहर रखा जाएगा। [पैरा 39] [468-बी-सी]

5. यह निर्धारित करने की आवश्यकता है कि क्या बीमा सेवा का लाभ उत्पन्न करने वाली गतिविधि के साथ घनिष्ठ और प्रत्यक्ष संबंध था और क्या लेन-देन का प्रमुख इरादा या प्रमुख उद्देश्य बीमित व्यक्ति या लाभार्थी के लिए किसी प्रकार के लाभ सृजन की सुविधा प्रदान करना था और हमारा जवाब नकारात्मक है और तदनुसार यह विचार है कि इसमें बीमित प्रतिवादी द्वारा दायर शिकायत का लाभ उत्पन्न करने वाली गतिविधि के साथ कोई करीबी या प्रत्यक्ष संबंध नहीं है और बीमा का दावा उस नुकसान की क्षतिपूर्ति करना है जो प्रतिवादी बीमित व्यक्ति को हुआ था और आयोग ने उचित रूप से माना है कि प्रतिवादी अधिनियम, 1986 की खंड 2 (1) (डी) के तहत एक "उपभोक्ता" है। यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि तत्काल मामले में बीमा पॉलिसी को काम पर रखना स्पष्ट रूप से नुकसान/नुकसान के जोखिम की क्षतिपूर्ति के लिए एक अधिनियम है और लाभ सृजन का कोई तत्व नहीं है और फिर

भी इस न्यायालय द्वारा जो व्यक्त किया गया है वह उदाहरणात्मक है; यह हमेशा प्रत्येक मामले के तथ्यों पर जांच करने के लिए खुला रहेगा, क्योंकि जिस लेनदेन के संदर्भ में दावा किया गया है, उसका लाभ पैदा करने वाली गतिविधि के साथ कोई करीबी और प्रत्यक्ष संबंध है। [पैरा 43,46] [470-सी-ई; 470-बी-सी]

लक्ष्मी इंजीनियरिंग वर्क्स बनाम पी.एस.जी. औद्योगिक संस्थान (1995) 3 एस.सी.सी. 583 : [1995] 3 एस.सी.आर. 174; लखनऊ विकास प्राधिकरण बनाम एम.के. गुप्ता (1994) 1 एस.सी.सी. 243 : [1993] 3 पूरक। एस.सी.आर. 615; कर्नाटक पावर पारेषण निगम और एक अन्य बनाम अशोक आयरन वर्क्स प्राइवेट लिमिटेड (2009) 3 एस.सी.सी. 240 : [2009] 1 एस.सी.आर. 1109; यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड बनाम लेविस स्ट्रॉस (इंडिया) प्राइवेट लिमिटेड (2022) 6 एस.सी.सी. 1 - पर भरोसा करें।

मदन कुमार सिंह (मृत) एल.आर. बनाम द्वारा से जिला मजिस्ट्रेट, सुल्तानपुर और अन्य (2009) 9 एस.सी.सी. 79 : [2009] 12 एस.सी.आर. 1186; लीलावती कीर्तिलाल मेहता मेडिकल ट्रस्ट बनाम विशिष्ट शांति डेवलपर्स और अन्य (2020) 2 एस.सी.सी. 265 : [2019] 14 एस.सी.आर. 563; पैरामाउंट डिजिटल कलर लैब और अन्य बनाम ए.जी.एफ.ए. इंडिया प्राइवेट लिमिटेड और अन्य (2018) 14 एस.सी.सी. 81; श्रीकांत जी. मंत्री बनाम पंजाब नेशनल बैंक (2022) 5 एस.सी.सी. 42; कल्पवृक्ष पूर्त न्यास बनाम तोशनीवाल ब्रदर्स (बॉम्बे) प्राइवेट लिमिटेड और एक अन्य (2000) 1 एस.सी.सी. 512 : [1999] 3 पूरक। एस.सी.आर. 619; राजीव मेटल

वर्क्स और अन्य बनाम भारतीय खनिज और धातु
व्यापार निगम लिमिटेड (1996) 9 एस.सी.सी 422 :
[1995] 6 पूरक। एस.सी.आर. 118 - संदर्भित।

निर्णयज विधि संदर्भ

- [1995] 3 एससीआर 174 में 10 पर भरोसा किया गया
[2009] 12 एससीआर 1186 में 17 अनुच्छेद संदर्भित हैं
[1993] 3 सप्लीमेंट एससीआर 615 में 29 पर भरोसा किया गया
[2019] 14 एससीआर 563 में 31 अनुच्छेद संदर्भित हैं
[2009] 1 एससीआर 1109 में 38 पर भरोसा किया गया
[1999] 3 पूरक। एससीआर 619 में 41 (i) अनुच्छेद संदर्भित हैं
[1995] 6 सप्लीमेंट एससीआर 118 में 41 (ii) अनुच्छेद संदर्भित हैं

सिविल अपीलीय न्यायनिर्णय: सिविल अपील सं. 5352-
5353/2007

आ.प्र. सं. 159 और 161/2004 में राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद
निवारण आयोग, नई दिल्ली के दिनांक 03.12.2004 के निर्णय
और आदेश से।

के साथ

सिविल अपील सं. 5354/2007, 2821/2012, 3350/2018 और
2787/2023.

कैलाश वासुदेव, सुनील कुमार, डॉ. भारत भूषण पारसन, नकुल
दीवान, सुरेंद्र कुमार, एन. गणपति, वरिष्ठ अधिवक्तागण।,
अमित कुमार सिंह, अप्रतिम अनिमेष ठाकुर, श्रीमती के एनाटोली
सेमा, सुश्री चुबलेमला चांग, प्रांग न्यूमाई, मोअज्जम खान, सुश्री
श्वेता साहू, बृजेश उज्जैनवाल, सुश्री अनिदिता मित्रा, सुश्री

अन्विता गोयल, सुश्री अननी गुप्ता, शिवम सिंह, पी. के. सेठ, सुश्री मंजीत चावला, मनीष कुमार, अभिनव सिंह, शिवम सिंह, गोपाल सिंह, प्रेम रंजन कुमार, अवनीश सिन्हा, विनय कुमार मिश्रा, अर्जुन मास्टर्स, सूरज केसरवानी, सुश्री सोनम प्रिया, अनुराग मिश्रा, आयुष कुमार सिंह, गगन गुप्ता, विशाल प्रसाद, अभिषेक अत्रे, जे. बी. मुद्गल, एस. के. (श्रीमती) विपिन गुप्ता, निखिल गोयल, सुश्री नवीन गोयल, आदित्य के. राँय, एस. एल. गुप्ता, आशुतोष शर्मा, सुश्री गुंजन शर्मा, वीरेंदर के. शर्मा, अरूप रतन दत्ता चौधरी, राजीव कुमार देवड़ा, धरम पाल सैनी, अब्दुल गफ्फार, मोहन सिंह, सौरभ शर्मा, आयुष पंवार, के. के. चौहान, सुश्री शालू शर्मा, ब्रह्म शंकर, सौम्या दत्ता, वी. इलांचेझियान, वैकिता सुब्रमण्यम टी. आर., लिखी चंद बोन्सले, राहत बंसल, अमित के. नैन, पी. आई. जोस, अशोक माथुर, रोहन गणपति, आकाश कामरा, अरुणव पटनायक, सुश्री भाबना दास, आदित्य मिश्रा, नीलेंद्र वात्स्यायन, चंद्र भूषण तिवारी, राजेश पी., मनोरंजन शर्मा, अधिवक्तागण। उपस्थित दलों के लिए।

न्यायालय का निर्णय इसके द्वारा दिया गया था

न्या.रस्तोगी

सिविल अपील सं. 5352-5353/2007

1. विशेष अनुमति द्वारा वर्तमान अपीलों में राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग (इसके बाद "राष्ट्रीय आयोग") द्वारा दिनांक 3 दिसंबर, 2004 को पारित निर्णय और आदेश को चुनौती दी गई है, जिसमें राष्ट्रीय आयोग ने उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 1986 (इसके बाद "अधिनियम, 1986") के तहत प्रत्यर्थी के द्वारा दायर शिकायत को बनाए रखने के संबंध में गुजरात राज्य उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग (इसके बाद "राज्य आयोग") के निष्कर्ष को उलटते हुए कहा कि एक व्यक्ति जो परिकल्पित जोखिम की क्षतिपूर्ति करने के लिए बीमा पॉलिसी लेता है, वह वाणिज्यिक उद्देश्य के लिए पॉलिसी नहीं लेता है। पॉलिसी केवल वास्तविक हानि की क्षतिपूर्ति के लिए है और इसका उद्देश्य लाभ उत्पन्न करना नहीं है और अंत

में यह अभिनिर्धारित किया गया कि प्रत्यर्थी (बीमाकृत) एक उपभोक्ता था जैसा कि अधिनियम, 1986 की धारा 2(1)(घ) के तहत परिभाषित है और उसके कहने पर दायर की गई शिकायत बनाए रखने योग्य थी और गुण-दोष के आधार पर राज्य आयोग द्वारा इसकी जाँच होनी चाहिए।

2. प्रत्यर्थी सं. 1 (टाटा वाहनों के विक्रेता) और प्रत्यर्थी सं. 2 दावेदार हैं। प्रत्यर्थी सं. 1 ने 75,35,000/- रुपये की क्षतिपूर्ति के लिए और प्रत्यर्थी सं. 2 ने 90 लाख रुपये की क्षतिपूर्ति के लिए अपीलार्थी से एक अग्नि बीमा पॉलिसी ली। 28 फ़रवरी 2002 को, प्रत्यर्थी सं. 1 और 2 के माल की आग के कारण (गोधरा दंगों के दौरान) क्षति हुई थी। अपीलार्थी ने प्रत्यर्थी सं. 2 के दावे को 54, 29,871/- रुपये की सीमा तक स्वीकार करते हुए, प्रत्यर्थी सं. 1 के दावे को अस्वीकृत किया। प्रत्यर्थीगण ने राज्य आयोग के समक्ष शिकायत दर्ज कराई।

3. प्रत्यर्थी सं. 1 मैसर्स हरसोलिया मोटर्स, वाहनों की बिक्री के व्यवसाय में लगी एक वाणिज्यिक संस्था, ने अपीलकर्ता बीमा कंपनी से कार्यालय, शोरूम, गैरेज, शोरूम परिसर में पड़ी मशीनरी आदि की क्षतिपूर्ति करने वाली अग्नि बीमा पॉलिसी ली। प्रत्यर्थी की शिकायत थी कि 28 फ़रवरी, 2002 को गोधरा दंगों के दौरान उनके उपरोक्त परिसर को क्षति पहुँचाई गई थी। प्रत्यर्थी, मैसर्स हरसोलिया मोटर्स, एक भागीदारी फ़र्म द्वारा राज्य आयोग के समक्ष शिकायत क्षति के मुआवज़े के लिए इस आधार पर दर्ज की गई थी कि 27 फ़रवरी, 2002 को हुई गोधरा घटना के बाद दंगे भड़क गए थे, जिसके परिणामस्वरूप 28 फ़रवरी, 2002 को दंगाइयों द्वारा लगाई गई आग से शिकायतकर्ता का माल नष्ट हो गया था और प्रत्यर्थी/शिकायतकर्ता बीमा पॉलिसी के तहत बीमाकृत राशि की क्षतिपूर्ति पाने का हकदार था।

4. राज्य आयोग ने अभिनिर्धारित किया कि प्रत्यर्थी अधिनियम, 1986 की धारा 2(1)(घ) के तहत परिभाषित "उपभोक्ता" अभिव्यक्ति के तहत शामिल नहीं होता है और यह अभिनिर्धारित किया गया है कि शिकायतकर्ता लाभ कमाने हेतु परिसर से व्यवसाय चलाने वाली कंपनी होने के नाते "वाणिज्यिक उद्देश्य के लिए" शब्द के तहत आता है और अधिनियम, 1986 के प्रावधानों के तहत शिकायत बनाए रखने योग्य नहीं है।

5. राष्ट्रीय आयोग के समक्ष बीमाकृत प्रत्यर्थी द्वारा की गई एक अपील पर, यह प्रश्न उठा है कि क्या किसी वाणिज्यिक इकाई द्वारा ली गई बीमा पॉलिसियों को वाणिज्यिक उद्देश्य के लिए किराए पर ली गई सेवाओं के लिए माना जा सकता है और अधिनियम, 1986 के प्रावधानों और अधिनियम, 1986 की धारा 2(1)(घ) और 2 (1)(ण) के तहत परिभाषित "उपभोक्ता" और "सेवा" शब्दों की परिभाषा पर पुनर्विचार करने के बाद अधिनियम, 1986 के प्रावधानों से बाहर रखा जा सकता है, आयोग ने एक निष्कर्ष दर्ज किया कि "किसी भी वाणिज्यिक उद्देश्य के लिए" उपयोग की जाने वाली अभिव्यक्ति का अर्थ यह होगा कि खरीदी गई वस्तुओं या किराए पर ली गई सेवाओं का उपयोग किसी भी गतिविधि में सीधे लाभ उत्पन्न करने के आशय से किया जाना चाहिए और लाभ कमाना ही वाणिज्यिक उद्देश्य का मुख्य लक्ष्य होना चाहिए, लेकिन ऐसे मामले में जहाँ खरीदी गई वस्तुओं या सेवाओं का उपयोग लाभ उत्पन्न करने के आशय नहीं है, यह एक वाणिज्यिक उद्देश्य नहीं होगा और यह अभिनिर्धारित किया कि एक व्यक्ति जो वास्तविक हानि की क्षतिपूर्ति हेतु परिकल्पित जोखिम से बचने के लिए बीमा पॉलिसी लेता है, सामान्य रूप से जिसका आशय लाभ उत्पन्न करने का नहीं है और तदनुसार यह अभिनिर्धारित किया गया कि प्रत्यर्थी/शिकायतकर्ता अधिनियम, 1986 की धारा 2(1)(घ) के तहत एक "उपभोक्ता" था और इसके कहने पर दायर की गई शिकायत की जाँच/निर्णय राज्य आयोग द्वारा 3 दिसंबर, 2004 के आक्षेपित निर्णय के तहत अपने गुण-दोष पर की जानी है, यह अपीलार्थी बीमा कंपनी द्वारा इस न्यायालय के समक्ष अपील में चुनौती का विषय है।

6. जबकि इस न्यायालय द्वारा 15 अप्रैल, 2005 को नोटिस जारी किए गए थे, आक्षेपित निर्णय के संचालन और प्रभाव पर रोक लगा दी गई थी। इसके परिणामस्वरूप, प्रत्यर्थी द्वारा दायर शिकायत के गुण-दोष के आधार पर राज्य आयोग द्वारा अभी तक जाँच नहीं की गई है।

7. राष्ट्रीय आयोग के निर्णय से उत्पन्न सिविल अपील सं. 5352-5353/2007 (नेशनल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड बनाम हरसोलिया मोटर्स और अन्य) के साथ सुनी गई अपीलों के अन्य समूह, जो 3 दिसंबर, 2004 के आक्षेपित निर्णय पर भरोसा रखते हुए, स्वयं के समान सिद्धांतों को लागू

कर रहे हैं, को भी हमारे समक्ष अपीलार्थी बीमाकर्ता द्वारा चुनौती दी गई है।

8. हमारे विचार के लिए जो मूल मुद्दा सामने आता है वह यह है कि क्या प्रत्यर्थी (वाणिज्यिक उद्यमों) द्वारा ली गई बीमा पॉलिसी "वाणिज्यिक उद्देश्य" के लिए सेवाओं को लेने के लिए बीमाकृत थी। तद्-द्वारा अधिनियम, 1986 की धारा 2(1)(घ) के तहत परिभाषित "उपभोक्ता" अभिव्यक्ति के दायरे से बाहर रखा गया है।

9. अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया कि अधिनियम, 1986 के दायरे में सभी बीमा मामलों को पूरी तरह से शामिल नहीं किया जा सकता है और यदि इसे अंकित मूल्य पर किया जा रहा है, तो यह वाणिज्यिक न्यायालय अधिनियम, 2015 (इसके बाद "अधिनियम, 2015") के प्रावधानों को अर्थहीन बना देगा और प्रस्तुत करता है कि अधिनियम, 2015 की धारा 2(1)(XX) में वाणिज्यिक विवादों के दायरे में बीमा और पुनर्बीमा शामिल हैं।

10. विद्वान अधिवक्ता आगे प्रस्तुत करते हैं कि इस न्यायालय द्वारा **लक्ष्मी इंजीनियरिंग वर्क्स बनाम पी.एस.जी.औद्योगिक संस्थान** में इस विषय पर विधि का परीक्षण किया गया है और यह अभिनिर्धारित किया गया कि "वाणिज्यिक उद्देश्य" को प्रत्येक मामले के तथ्यों और परिस्थितियों के आधार पर देखा जाना चाहिए ताकि उस उद्देश्य पर विचार किया जा सके

11. जिसके लिए वस्तुओं और सेवाओं को खरीदा या प्राप्त किया जाता है। यदि इसे लाभ के उद्देश्य से बड़े पैमाने पर वाणिज्यिक गतिविधि करने की दृष्टि से प्राप्त किया जाता है, तो खरीदार उपभोक्ता के रूप में योग्य नहीं होगा व अधिनियम, 1986 लागू नहीं होगा और इस न्यायालय के इस विचार की बाद के निर्णयों में लगातार पुष्टि की गई है।

12. विद्वान अधिवक्ता आगे प्रस्तुत करते हैं कि आयोग अपने दूसरे अंतिम पैरा में स्पष्ट रूप से बीमा पॉलिसी को अधिनियम, 1986 के दायरे में लेता है और उसके परिणाम में, मामले की प्रकृति की परवाह किए बिना, जब भी बीमा पॉलिसी के संदर्भ में मुआवज़े का दावा किया जाता है, तो ऐसी शिकायतें अधिनियम, 1986 के तहत बनाए रखने योग्य हो जाती हैं।

13. विद्वान अधिवक्ता आगे प्रस्तुत करते हैं कि वाणिज्यिक संस्थाओं द्वारा बीमा संविदा प्राप्त करने का प्रमुख उद्देश्य लाभ कमाना है और इस प्रकार इनका इसके साथ निकट और सीधा संबंध है और तदनुसार संक्षिप्त कार्यवाही की माँग करने वाली ये संस्थाएं उपभोक्ता न्यायालय के समक्ष दावा दायर करने की हकदार नहीं हैं और वर्तमान विवाद किसी छोटे से असंतुष्ट उपभोक्ता के नहीं हैं जो व्यक्तिगत उपयोग के मोबाइल की हानि पर बीमा का दावा कर रहा है, या किसी ऑटोरिक्षा चालक का जो एक खराब इंजन को ठीक कराने के लिए किए गए खर्च के लिए दावा कर रहा है क्योंकि यह उसकी आजीविका का साधन है। तत्काल विवाद बड़े पैमाने वाली वाणिज्यिक संस्थाओं से संबंधित है जो अपने व्यवसायों से जुड़े जोखिमों की रक्षा के लिए बीमा कंपनियों के साथ वाणिज्यिक समझौते करती हैं। यदि उन्हें अधिनियम, 1986 के तहत एक उपभोक्ता के रूप में इस अधिकार क्षेत्र का उपयोग करने की अनुमति दी जा रही है, तो यह विधायी विवेक के अधिदेश को विफल कर देगा, जिसके लिए यह अधिनियम अधिनियमित किया गया है।

14. विद्वान अधिवक्ता आगे प्रस्तुत करते हैं कि चुनाव का सिद्धांत उस मुवक्किल के लिए उपलब्ध नहीं है जो अधिनियम, 1986 की धारा 2(1)(घ) और उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019 की धारा 2(7) के रूप में बीमा संविदा से व्यथित है, यह अधिनियम विशेष रूप से उपभोक्ता न्यायालयों ने के दायरे से "वाणिज्यिक उद्देश्य के लिए" सेवाओं के प्रावधानों को बाहर करता है और इसका एकमात्र उपाय अधिनियम, 2015 के तहत वाणिज्यिक न्यायालयों के पास है।

15. विद्वान अधिवक्ता प्रस्तुत करते हैं कि यदि अधिनियम, 1986 के दायरे में आने वाली वाणिज्यिक गतिविधियों के लिए बीमा के विरुद्ध तर्क को स्वीकार किया जाये, तो किसी भी वाणिज्यिक गतिविधि के लिए कोई भी सेवा प्राप्त करना, यहाँ तक वाणिज्यिक उद्यम के लिए लाभ सृजन की सुविधा की अधिनियम, 1986 की धारा 2(1)(घ) के तहत परिभाषित "उपभोक्ता" अभिव्यक्ति के अंतर्गत आएगा और यह असंभाव्यता की ओर ले जाएगा क्योंकि यह वाणिज्यिक उद्देश्यों के लिए उपयोग की जाने वाली सेवा के मूल सिद्धांतों के खिलाफ जाएगा, जिनके उल्लंघन से नागरिक कार्रवाई को बढ़ावा मिलेगा न कि उपभोक्ता निवारण को।

16. विद्वान अधिवक्ता आगे प्रस्तुत करते हैं कि यदि प्रत्यर्थी द्वारा अधिनियम के अर्थ के भीतर किसी भी व्यक्ति द्वारा ली गई सेवा के रूप में बीमा प्रस्तुत करने को स्वीकार किया जाता है, तो इससे देश भर में उपभोक्ता विवादों में तेज़ी से वृद्धि होगी, जिससे न केवल सामाजिक और आर्थिक रूप से लाभकारी कानून का शाब्दिक अर्थ और आशय विफल होगा, बल्कि यह अनजाने में बीमा कंपनी द्वारा लिए जाने वाले प्रीमियम में भी बढ़ोत्तरी करेगा जो फिर से अधिनियम के समग्र उद्देश्य का अनुसेवन करेगा, क्योंकि वास्तविक उपभोक्ता जो नियमित रूप से सेवाओं का लाभ उठाते हैं, उन्हें उसी क्षतिपूर्ति के लिए अधिक भुगतान करना होगा और इसे उन उद्देश्यों और कारणों के विवरण से नोट किया जा सकता है जिन्हें वर्ष 2002 में संशोधन करने के उद्देश्य से ध्यान में रखा गया था।

17. विद्वान अधिवक्ता अंत में प्रस्तुत करते हैं कि बीमा पॉलिसी की खरीद का बड़े पैमाने पर वाणिज्यिक गतिविधि करने वाले बड़े उद्यम के साथ सीधा संबंध है। दूसरे शब्दों में, बीमा पॉलिसी कंपनी को आग, भूकंप या किसी अन्य बीमाकृत जोखिम से होने वाली हानि के लिए क्षतिपूर्ति देती है। बीमा कंपनी द्वारा जो प्रतिपूर्ति की जाती है वह हानि है और हानि सीधे कंपनी के वाणिज्य के साथ जुड़ी हुई है और इसलिए, हानि की प्रतिपूर्ति की माँग करने वाली शिकायत उपभोक्ता न्यायालय के समक्ष बनाए रखने योग्य नहीं होगी यदि यह प्रत्यर्थी जैसे बड़े पैमाने वाली वाणिज्यिक इकाई द्वारा दायर की गई है और राष्ट्रीय आयोग द्वारा संबोधित अधिनियम, 1986 के प्रावधानों की व्याख्या न केवल इस न्यायालय के निर्णयों के विपरीत चलती है, बल्कि यह विधिक रूप से अनुरक्षणीय नहीं है और इस न्यायालय द्वारा हस्तक्षेप करने योग्य है।

18. इसके विपरीत, प्रत्यर्थी के लिए विद्वान अधिवक्ता प्रस्तुत करते हैं कि बीमा पॉलिसी की खरीद विशेष जोखिम की क्षतिपूर्ति की एक संविदा है और इस तरह के किसी अधिनियम के अनुसार लाभ/हानि कमाने के लिए कुछ करने या न करने की संविदा नहीं है। यदि विशेष आकस्मिकता जैसे कि आग, बाढ़, आदि से अनुमानित जोखिम नहीं होता है, तो पॉलिसी क्षतिपूर्ति को भुनाने का कोई प्रश्न ही नहीं है, और यदि ऐसा होता है तो जो देय है वह अग्रिम भुगतान किए गए प्रीमियम के खिलाफ जोखिम राशि है। इन परिस्थितियों में, बीमा पॉलिसी की पेशकश/खरीद मूल रूप से लाभ कमाने

के लिए नहीं की जा रही है, बल्कि अकस्मात् जोखिम की प्रतिपूर्ति के लिए की जा रही है, इसलिए, पॉलिसी की खरीद वाणिज्यिक उद्देश्य के लिए नहीं है, भले ही इसे वाणिज्यिक उद्यमों द्वारा खरीदा गया हो और वाणिज्यिक उद्देश्य क्या है, यह न केवल कई शब्दकोशों में बल्कि इस न्यायालय के निर्णयों में भी अच्छी तरह से परिभाषित किया गया है और प्रस्तुत किया गया है कि यह देखा जा सकता है कि अधिनियम, 1986 केवल "वाणिज्यिक उद्देश्य" के लिए लेनदेन को प्रतिबंधित करता है, लेकिन यह किसी भी वाणिज्यिक उद्यम को उपभोक्ता होने के लिए प्रतिबंधित नहीं करता है और इसलिए वाणिज्यिक उद्यम एक खरीदार/उपभोक्ता हो सकता है और एक उपभोक्ता के रूप में अपने अधिकारों का उपयोग कर सकता है, बशर्ते कि वाणिज्यिक उद्यम का तत्काल आशय ऐसे लेनदेन से लाभ उत्पन्न करना हो, जैसा कि इस न्यायालय द्वारा **मदन कुमार सिंह (मृत) विधिक प्रतिनिधि के माध्यम से बनाम ज़िला मजिस्ट्रेट, सुल्तानपुर और अन्य** के मामले में कहा गया है।

19. विद्वान अधिवक्ता आगे कहते हैं कि ऐसे वाणिज्यिक उद्यमों द्वारा किए किसी भी लेने-देन को "वाणिज्यिक उद्देश्य" के लिए नहीं माना जा सकता जिनका तत्काल आशय लाभ कमाने का नहीं है, अन्यथा वाणिज्यिक उद्यमों द्वारा किए गए सभी लेने-देनों को वाणिज्यिक उद्देश्यों के लिए माना जाएगा, जिनका लाभ उत्पन्न करने का दूर-दूर तक संबंध हो भी सकता है और नहीं भी। उदाहरण के लिए, मान लीजिए, कोई कंपनी अपने कर्मचारियों के लिए या किसी अजनबी/बाहरी व्यक्ति को मुफ्त पानी देने के लिए पानी का संयंत्र या दीवारों के उन्नयन आदि के लिए थोक में पेंट के डिब्बे खरीद रही है, तो इससे लाभ कमाने पर कोई सीधा प्रभाव नहीं पड़ता है। इस प्रकार, एक जल संयंत्र की खरीद को वाणिज्यिक उद्देश्य के लिए नहीं माना जा सकता है, अन्यथा वाणिज्यिक उद्यम द्वारा किए जाने वाले लगभग सभी लेनदेनों को वाणिज्यिक उद्देश्य का रंग मिल जाएगा और यदि विधायिका का ऐसा आशय होता, तो उसने "उपभोक्ता" शब्द की परिभाषा को अलग तरीके से लिखा होता - "किसी भी व्यक्ति" के बजाय "वाणिज्यिक उद्यमों के अलावा किसी अन्य व्यक्ति" का उपयोग किया होता, लेकिन विधि ने अपने विवेक में वाणिज्यिक उद्देश्य के साथ वाणिज्यिक लेनदेन को शामिल करने की अनुमति दी है। इसलिए, वाणिज्यिक उद्यमों

द्वारा किए गए लेनदेन को अधिनियम, 1986 के तहत पूरी तरह से अपवर्जित नहीं माना जा सकता है।

20. हमने पक्षकारों के विद्वान अधिवक्ता को सुना है और उनकी सहायता से अभिलेख पर उपलब्ध सामग्री का अध्ययन किया है।

21. इससे पहले कि हम हमारे विचार के लिए उठाए गए मुद्दे की जाँच करने के लिए आगे बढ़ें, अधिनियम, 1986 पर एक नज़र डाल लेना उपयुक्त रहेगा।

22. अधिनियम, 1986 एक सामाजिक लाभोन्मुख विधान है और इसलिए, न्यायालय को अधिनियम के प्रावधानों पर विचार करते समय एक रचनात्मक उदार दृष्टिकोण अपनाना होगा। अधिनियम, 1986 की प्रस्तावना के साथ शुरू करने के लिए, जो विधायी आशय को सुनिश्चित करने के लिए उपयोगी सहायता प्रदान कर सकता है, इसे उपभोक्ताओं के हितों की सुरक्षा प्रदान करने के लिए अधिनियमित किया गया था। "संरक्षण" शब्द के उपयोग से अधिनियम के निर्माताओं की सोच का पता चलता है। विभिन्न परिभाषाएँ और प्रावधान जो विस्तृत रूप से इस उद्देश्य को प्राप्त करने का प्रयास करते हैं, उनका अर्थ इस दृष्टि से तय किए गए कानून से अलग किए बिना लगाया जाना चाहिए कि प्रस्तावना किसी प्रावधान के अन्यथा स्पष्ट अर्थ को नियंत्रित नहीं कर सकती है।

23. वास्तव में, कानून आम आदमी को इस तरह के अन्याय से बचाने की लंबे समय से महसूस की गई आवश्यकता को पूरा करता है, जिसका उपाय विभिन्न कारणों से सामान्य कानून के चलते भ्रामक हो गया है। राज्य को हस्तक्षेप करने और उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा करने की अनुमति देने वाले विभिन्न कानून और विनियम बेईमान लोगों के लिए एक पनाहगाह बन गए हैं क्योंकि प्रवर्तन तंत्र या तो चलता नहीं है या यह उन कारणों से अप्रभावी और अक्षम रूप से चलता है जिन्हें बताए जाने की आवश्यकता नहीं है।

24. अधिनियम का महत्व उपभोक्ता को बाज़ार अर्थव्यवस्था में सीधे भाग लेने में सक्षम बनाकर समाज के कल्याण को बढ़ावा देने में निहित है। "उपभोक्ता", "सेवा", "व्यापारी", "अनुचित व्यापार व्यवहार" जैसी विभिन्न परिभाषाओं की जाँच से संकेत मिलता है कि विधायिका ने अधिनियम के

दायरे और पहुँच को व्यापक बनाने का प्रयास किया है। इनमें से प्रत्येक परिभाषा दो भागों में है, एक व्याख्यात्मक और दूसरी समावेशी। व्याख्यात्मक या मुख्य भाग स्वयं आयाम की अभिव्यक्तियों का उपयोग करता है जो स्पष्ट रूप से अपने दायरे के भीतर ऐसी चीज़ों को व्यापक बनाने का संकेत देता है जो अन्यथा इसके प्राकृतिक महत्व से परे होती।

25. इस प्रकार अधिनियम, 1986 के प्रावधानों को अधिनियम के उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए उपभोक्ता के पक्ष में समझा जाना चाहिए क्योंकि यह एक सामाजिक लाभोन्मुख विधान है। ऐसे अधिनियम के प्रावधानों का अर्थ समझते समय न्यायालय/आयोग का प्राथमिक कर्तव्य एक रचनात्मक दृष्टिकोण अपनाना है, बशर्ते कि वह प्रावधानों की भाषा का उल्लंघन न करे और अधिनियम के प्रयास के उद्देश्य के विपरीत न हो।

26. धारा 2(1)(घ) "उपभोक्ता" को परिभाषित करती है, धारा 2(1)(ड) "एक व्यक्ति" को परिभाषित करती है और धारा 2(1)(ढ) "सेवा" को परिभाषित करती है, जो हमारे विचार के लिए उठाए गए विवादास्पद प्रश्न की जाँच करने के लिए प्रासंगिक हैं, जिन्हें यहाँ नीचे दोबारा प्रस्तुत किया गया है:

"2. परिभाषाएँ - इस अधिनियम में, जब तक कि संदर्भ के लिए अन्यथा आवश्यक न हो,-

.....

(घ) **"उपभोक्ता"** का अर्थ है कोई भी वह व्यक्ति जो-

(i) किसी ऐसे प्रतिफल के लिए कोई वस्तु खरीदता है जिसका भुगतान या वादा किया गया है या आंशिक रूप से भुगतान किया गया है या आंशिक रूप से वादा किया गया है, या विलंबित भुगतान की किसी भी प्रणाली के तहत और इसमें उस व्यक्ति के अलावा ऐसी वस्तुओं का कोई भी उपयोगकर्ता शामिल है जो भुगतान या वादा या आंशिक रूप से भुगतान या आंशिक रूप से वादा किए गए प्रतिफल के लिए ऐसी वस्तु खरीदता है, या विलंबित भुगतान की किसी भी प्रणाली के तहत जब ऐसा उपयोग ऐसे व्यक्ति की मंजूरी से किया जाता है, लेकिन इसमें ऐसा व्यक्ति शामिल नहीं है जो पुनर्विक्रय या किसी वाणिज्यिक उद्देश्य के लिए ऐसी वस्तु प्राप्त करता है; या

(ii) किसी ऐसे प्रतिफल के लिए, जिसका भुगतान किया गया है या वादा किया गया है या आंशिक रूप से भुगतान किया गया है और आंशिक रूप से वादा किया गया है, या विलंबित भुगतान की किसी भी प्रणाली के तहत किसी भी सेवा को नियुक्त करता है या उसका लाभ उठाता है और इसमें उस व्यक्ति के अलावा ऐसी सेवाओं का कोई भी

लाभार्थी शामिल है जो भुगतान किए गए या वादे किए गए, या आंशिक रूप से भुगतान किए गए और आंशिक रूप से वादा किए गए, या विलंबित भुगतान की किसी भी प्रणाली के तहत सेवाओं को नियुक्त करता है या उसका लाभ उठाता है, जब ऐसी सेवाओं का लाभ पहले उल्लिखित व्यक्ति की मंजूरी से लिया जाता है।

व्याख्या: उपखंड (i) के प्रयोजनों के लिए, "वाणिज्यिक उद्देश्य" में उपभोक्ता द्वारा खरीदी गई और उपयोग की गई वस्तुओं का उपयोग विशेष रूप से अपनी आजीविका कमाने के उद्देश्य से, स्व-रोजगार के माध्यम से शामिल नहीं है;

....

(ड) "व्यक्ति" में शामिल है-

- (i) एक फ़र्म, चाहे वह पंजीकृत हो या नहीं;
- (ii) एक हिंदू अविभाजित परिवार;
- (iii) एक सहकारी समिति;
- (iv) व्यक्तियों का प्रत्येक अन्य संघ, चाहे वह समिति पंजीकरण अधिनियम, 1860 (22/1860) के तहत पंजीकृत हो या नहीं;

....

(ण) "सेवा" का अर्थ किसी भी विवरण की सेवा से है जो संभावित उपयोगकर्ताओं को उपलब्ध कराई जाती है और इसमें बैंकिंग, वित्तपोषण, बीमा, परिवहन, प्रसंस्करण, बिजली या अन्य ऊर्जा की आपूर्ति, बोर्ड या आवास या दोनों, [आवास निर्माण], मनोरंजन, या समाचार या अन्य जानकारी के संबंध में सुविधाओं का प्रावधान शामिल है, लेकिन इसमें किसी भी सेवा को मुफ्त में या व्यक्तिगत सेवा की संविदा के तहत प्रदान करना शामिल नहीं है।"

27. "उपभोक्ता" शब्द इस अधिनियम का आधार है। चूंकि यह अधिनियम वस्तुओं या सेवा में दोष या किसी भी कमी की दोहरी अवधारणाओं पर निर्भर करता है, उपभोक्ता वह है जो कोई भी वस्तु खरीदता है या किसी भी सेवा को किराए लेता है। इस प्रकार, "उपभोक्ता" शब्द के अर्थ को एक ऐसे व्यक्ति के रूप में परिभाषित किया गया है जो -

- (i) एक खरीददार, या
- (ii) खरीददार के अनुमोदन के साथ प्रश्रुत माल का उपयोगकर्ता है।
- (iii) कोई किराये पर लेने वाला या व्यक्ति जो अन्यथा वस्तु या सेवा लाभ उठा रहा हो, या

(iv) उपरोक्त व्यक्तियों के अनुमोदन के साथ प्रश्रुत सेवा अथवा सेवाओं के लाभार्थी।

इस शर्त के साथ कि माल की ऐसी खरीद या किराए पर लेना या ऐसी किसी सेवा का लाभ उठाना, जो इस विचार के लिए है, -

(i) भुगतान किया गया, या

(ii) वादा किया गया, या

(iii) आंशिक रूप से भुगतान या वादा किया गया, या

(iv) आस्थगित भुगतान की किसी भी प्रणाली के अंतर्गत आता है।

28. हालाँकि, इस प्रकार परिभाषित "उपभोक्ता" शब्द में वह व्यक्ति शामिल नहीं है, जो माल के मामले में पुनर्विक्रय या किसी वाणिज्यिक उद्देश्य के लिए ऐसी वस्तुएँ प्राप्त करता है, या जो सेवा के मामले में, किसी भी वाणिज्यिक उद्देश्य के लिए ऐसी सेवाओं का लाभ उठाता है। उपरोक्त परिभाषा के साथ संलग्न एक स्पष्टीकरण में कहा गया है कि "वाणिज्यिक उद्देश्य" अभिव्यक्ति में ऐसी वस्तुओं के खरीदार या ऐसी सेवा या सेवाओं का लाभ उठाने वाले व्यक्ति द्वारा उपयोग शामिल नहीं है, विशेष रूप से स्व-रोज़गार के माध्यम से अपनी आजीविका कमाने के उद्देश्य से।

29. यह ध्यान दिया जा सकता है कि धारा 2(1)(ड) "व्यक्ति" को परिभाषित करती है और इसमें बड़ी या छोटी, बिना किसी भेद के अन्य श्रेणियों के अलावा एक फ़र्म भी शामिल है, चाहे वह पंजीकृत हो या नहीं। इसलिए, धारा 2(1)(ण) के तहत परिभाषित "सेवाओं" में बैंकिंग, बीमा शामिल है और यदि बैंकिंग/बीमा आदि के मामले में सेवा में कमी है, तो इस तथ्य के अधीन कि वह धारा 2(1)(घ) के तहत उपभोक्ता है, तो ऐसे उपभोक्ता के लिए अधिनियम, 1986 के अधिकार क्षेत्र का उपयोग करने के लिए उपाय हमेशा उपलब्ध है।

30. इस न्यायालय ने **लखनऊ विकास प्राधिकरण बनाम एम.के. गुप्ता** मामले में अधिनियम के संदर्भ में परिभाषा का विश्लेषण करते हुए, अधिनियम के तहत परिभाषित "उपभोक्ता" की अवधारणा पर ज़ोर दिया:

"3..... यह दो भागों में है। पहला माल से संबंधित है और दूसरा सेवाओं से संबंधित है। दोनों भाग व्यापक अभिव्यक्तियों का उपयोग करके पहले

वस्तुओं और सेवाओं के अर्थ की घोषणा करते हैं। समावेशी खंड के उपयोग से उनका दायरा और बढ़ाया जाता है। उदाहरण के लिए, यह न केवल माल का खरीदार या सेवाओं का किरायेदार है, बल्कि वे लोग भी हैं जो माल का उपयोग करते हैं या जो माल खरीदने वाले व्यक्ति की मंजूरी से सेवाओं के लाभार्थी हैं या जिन्होंने सेवाओं को किराए पर लिया है, वे भी इसमें शामिल हैं। विधायिका ने न केवल 'शिकायत', 'शिकायतकर्ता', 'उपभोक्ता' को परिभाषित करने के लिए सावधानी बरती है, बल्कि खंड (द) में एक विस्तृत परिभाषा देकर और यहाँ तक कि खंड (च) और (छ) द्वारा 'दोष' और 'कमी' को परिभाषित करने के लिए भी विस्तार से उल्लेख किया है, जिसके लिए एक उपभोक्ता आयोग से संपर्क कर सकता है। इस प्रकार इस अधिनियम का उद्देश्य उपभोक्ता के आर्थिक हित की रक्षा करना है जैसा कि वाणिज्यिक अर्थों में माल के खरीदार के रूप में और सेवाओं के उपयोगकर्ता के व्यापक अर्थ में समझा जाता है। वस्तुओं और सेवाओं की सामान्य विशेषताएँ यह हैं कि उन्हें लागत को पूरा करने और माल के विक्रेता या सेवा प्रदाता के लिए लाभ या आय उत्पन्न करने के लिए एक कीमत पर आपूर्ति की जाती है। लेकिन एक में दोष और दूसरे में कमी को दूर करना पड़ सकता है और अलग तरह से क्षतिपूर्ति करनी पड़ सकती है। पहला, आम तौर पर, बदलने और मरम्मत करने में योग्य होता है, जबकि दूसरे को हानि के लिए मूल्य या हानि के न्यायसंगत समतुल्य के पुरस्कार द्वारा क्षतिपूर्ति की आवश्यकता हो सकती है.....”

31. बाद में, इस न्यायालय ने लक्ष्मी इंजीनियरिंग वर्क्स (पूर्वोक्त) में इस असंशोधित रूप में "उपभोक्ता" शब्द के सांकेतिक विस्तार और एक संशोधन द्वारा "उपभोक्ता" अभिव्यक्ति में जोड़े गए स्पष्टीकरण से निपटते हुए, निर्णय सुनाया कि इस तरह की व्याख्या स्पष्ट करने वाली प्रकृति की है और संशोधन अधिनियम, 1993 द्वारा जोड़े गए स्पष्टीकरण पर ध्यान देते हुए "उपभोक्ता" शब्द की परिभाषा की व्यापक रूप से इस प्रकार जाँच की गई:

"11. अब धारा 2 (घ) में 'उपभोक्ता' की परिभाषा पर वापस आते हुए, एक उपभोक्ता का अर्थ है जहाँ तक कि इस अपील के उद्देश्य के लिए प्रासंगिक है, (i) एक व्यक्ति जो प्रतिफल के लिए कोई वस्तु खरीदता है; यह मायने नहीं रखता है कि क्या प्रतिफल का भुगतान किया गया है या वादा किया गया है, या आंशिक रूप से भुगतान किया गया है और आंशिक रूप से वादा किया गया है, या क्या प्रतिफल का भुगतान स्थगित किया गया है; (ii) एक व्यक्ति जो उस व्यक्ति की मंजूरी से ऐसी

वस्तुओं का उपयोग करता है जो प्रतिफल के लिए ऐसी वस्तु खरीदता है; (iii) लेकिन इसमें वह व्यक्ति शामिल नहीं है जो पुनर्विक्रय के लिए या किसी वाणिज्यिक उद्देश्य के लिए ऐसी वस्तु खरीदता है। 'पुनर्विक्रय' अभिव्यक्ति काफ़ी स्पष्ट है। हालाँकि, "वाणिज्यिक उद्देश्य" अभिव्यक्ति के अर्थ के संबंध में विवाद उत्पन्न हुआ है। इसे अधिनियम में भी परिभाषित नहीं किया गया है। परिभाषा के अभाव में हमें इसके सामान्य अर्थ से ही चलना पड़ेगा। 'वाणिज्यिक' का अर्थ है "वाणिज्य से संबंधित" (*चेंबर्स ट्वेंटीएथ सेंचुरी डिक्शनरी*); इसका अर्थ है "वाणिज्य से जुड़ा हुआ या में लगा हुआ; व्यापारिक; मुख्य उद्देश्य के रूप में लाभ प्राप्त करना" (*कोलिन्स इंग्लिश डिक्शनरी*) जबकि 'वाणिज्य' शब्द का अर्थ है "वित्तीय लेनदेन, विशेष रूप से बड़े पैमाने पर माल की खरीद और बिक्री" (*कंसाइज़ ऑक्सफ़ोर्ड डिक्शनरी*)। ऐसा प्रतीत होता है कि राष्ट्रीय आयोग एक सुसंगत दृष्टिकोण रखता रहा है कि जहाँ कोई भी वह व्यक्ति जो "लाभ कमाने के उद्देश्य से बड़े पैमाने पर किसी भी गतिविधि को करने के लिए इस तरह के माल का उपयोग करने की दृष्टि से" माल खरीदता है, वह अधिनियम की धारा 2(घ)(i) के अर्थ के तहत 'उपभोक्ता' नहीं होगा। व्यापक रूप से उक्त दृष्टिकोण की पुष्टि करना और विशेष रूप से किसी भी भ्रम को दूर करने की दृष्टि से "बड़े पैमाने पर" अभिव्यक्ति एक बहुत ही सटीक अभिव्यक्ति नहीं है - संसद ने कदम उठाया और अध्यादेश/संशोधन अधिनियम, 1993 द्वारा धारा 2(घ)(i) में एक स्पष्टीकरण जोड़ा। स्पष्टीकरण निश्चित उद्देश्यों को "वाणिज्यिक उद्देश्य" अभिव्यक्ति के दायरे से बाहर करता है - एक अपवाद के अपवाद का मामला। आइए विस्तार से बताते हैं: एक व्यक्ति जो टाइपराइटर या कार खरीदता है और उन्हें अपने व्यक्तिगत उपयोग के लिए उपयोग करता है, वह निश्चित रूप से एक उपभोक्ता है, लेकिन एक व्यक्ति जो दूसरों के काम को प्रतिफल के लिए टाइप करने के लिए या कार को टैक्सी के रूप में चलाने के लिए टाइपराइटर या कार खरीदता है, उसे वाणिज्यिक उद्देश्य के लिए टाइपराइटर/कार का उपयोग करने वाला कहा जा सकता है। इसका स्पष्टीकरण हालाँकि यह स्पष्ट करता है कि निश्चित स्थितियों में, "वाणिज्यिक उद्देश्य" के लिए वस्तुओं की खरीद अभी तक खरीदार को "उपभोक्ता" अभिव्यक्ति की परिभाषा से बाहर नहीं ले जाएगी। यदि वाणिज्यिक उपयोग स्वयं खरीदार द्वारा स्व-रोज़गार के माध्यम से अपनी आजीविका कमाने के उद्देश्य से किया जाता है, तो माल का ऐसा खरीदार अभी भी एक 'उपभोक्ता' है। ऊपर दिए गए उदाहरण में, यदि खरीदार स्वयं टाइपराइटर पर काम करता है या कार को स्वयं टैक्सी के रूप में चलाता है, तो ऐसा नहीं है कि वह उपभोक्ता नहीं रहता है। दूसरे शब्दों में, यदि माल का खरीदार अपनी आजीविका कमाने के लिए स्वयं माल का उपयोग करता है, तो इसे "वाणिज्यिक उद्देश्य" के रूप में नहीं माना जाएगा और वह अधिनियम के उद्देश्यों के लिए उपभोक्ता ही रहेगा। स्पष्टीकरण इस प्रश्न, "वाणिज्यिक उद्देश्य" क्या है, को इस प्रश्न

से कम कर देता है कि तथ्यों को प्रत्येक मामले के तथ्य के आधार पर तय किया जाना चाहिए। यह महत्वपूर्ण नहीं है कि माल का मूल्य क्या है, बल्कि यह महत्वपूर्ण है कि खरीदे गए माल का उद्देश्य क्या है। स्पष्टीकरण में प्रयुक्त कई शब्द, अर्थात् "विशेष रूप से अपनी आजीविका कमाने के उद्देश्य से" और "स्व-रोज़गार के माध्यम से", संसद के आशय को स्पष्ट रूप से स्पष्ट करते हैं कि खरीदी गई वस्तुओं का उपयोग खरीदार द्वारा स्वयं किया जाना चाहिए, अपनी आजीविका कमाने के लिए खुद को किराए करके। हम जो कह रहे हैं उस पर जोर देने के लिए कुछ और उदाहरण कारगर होंगे। एक व्यक्ति जो अपनी आजीविका कमाने के लिए किराए पर लेने के लिए ऑटो रिक्शा खरीदता है, वह उपभोक्ता होगा। इसी तरह, एक ट्रक का खरीदार जो इसे सार्वजनिक वाहक के रूप में स्वयं चलाने के लिए खरीदता है, वह उपभोक्ता होगा। एक व्यक्ति जो अपनी आजीविका कमाने के लिए स्वयं संचालित करने के लिए खराद मशीन या कोई अन्य मशीन खरीदता है, वह उपभोक्ता होगा। (उपरोक्त उदाहरणों में, यदि ऐसा खरीदार वाहन या मशीनरी के संचालन में उसकी सहायता करने के लिए एक या दो व्यक्तियों की सहायता लेता है, तो भी वह उपभोक्ता रहना बंद नहीं करता है।) इसके विपरीत जो व्यक्ति विशेष रूप से किसी अन्य व्यक्ति द्वारा चलाने या संचालित करने के लिए ऑटो रिक्शा, कार या खराद मशीन या अन्य मशीन खरीदता है, वह उपभोक्ता नहीं होगा। स्पष्टीकरण में "उनके द्वारा उपयोग के लिए", और "स्व-रोज़गार के माध्यम से" अभिव्यक्तियों के बीच यह आवश्यक सीमा निर्धारित होती है। "अपनी आजीविका कमाने के उद्देश्य से" शब्दों के अर्थ में अस्पष्टता को शब्दों के अन्य दो समूहों द्वारा समझाया और स्पष्ट किया जाता है।

और 1993 के संशोधन के बाद "उपभोक्ता" की परिभाषा के निष्पक्ष विश्लेषण के बाद अंततः इसे इस प्रकार माना गया है:

"21. इसलिए, हमें यह मानना चाहिए कि:

- (i) 1993 के उपभोक्ता संरक्षण (संशोधन) अधिनियम 50 (1993 के अध्यादेश 24 के स्थान पर) द्वारा जोड़ा गया एवं 18-6-1993 से प्रभावी स्पष्टीकरण स्पष्ट प्रकृति का है और सभी लंबित कार्यवाहियों पर लागू होता है।
- (ii) किसी व्यक्ति ने जिस उद्देश्य के लिए माल खरीदा है, वह अधिनियम की धारा 2 (घ) में 'उपभोक्ता' की परिभाषा के अर्थ के भीतर एक 'वाणिज्यिक उद्देश्य' है या नहीं, यह हमेशा तथ्य का प्रश्न होता है जिसका निर्णय प्रत्येक मामले के तथ्यों और परिस्थितियों में किया जाता है।
- (iii) एक व्यक्ति जो माल खरीदता है और स्वयं उसका उपयोग करता है, विशेष रूप से अपनी आजीविका कमाने के उद्देश्य से, स्व-रोज़गार के माध्यम से, 'उपभोक्ता' अभिव्यक्ति की परिभाषा के भीतर आता है।"

32. इस विषय पर विधि की व्याख्या पर इस न्यायालय द्वारा **लीलावती कीर्तिलाल मेहता मेडिकल ट्रस्ट बनाम यूनिक्स शांति डेवलपर्स और अन्य** में विचार किया गया था जिसमें हम में से एक (रस्तोगी, न्या.) सदस्य थे और विचार के लिए यह प्रश्न उठा था कि क्या लीलावती कीर्तिलाल मेहता मेडिकल ट्रस्ट हॉस्पिटल द्वारा किराए नर्सों को आवास प्रदान करने के उद्देश्य से फ्लैटों की खरीद को वाणिज्यिक उद्देश्य के लिए सेवाओं की खरीद के माने जाने योग्य है और क्या हॉस्पिटल ट्रस्ट को धारा 2(1)(घ) के तहत "उपभोक्ता" की परिभाषा से बाहर रखा जाए, इस न्यायालय ने अधिनियम, 1986 की योजना पर दोबारा गौर करने और **लक्ष्मी इंजीनियरिंग वर्क्स** (पूर्वोक्त) में पूर्वता के कानून पर ध्यान देने के बाद, जिसका एक संदर्भ बनाया गया और **पैरामाउंट डिजिटल कलर लैब और अन्य बनाम एजीएफए इंडिया प्राइवेट लिमिटेड और अन्य** में इस न्यायालय के निर्णय पर भरोसा करते हुए माना कि कोई व्यक्ति चाहे वह उपभोक्ता हो या नहीं या वाणिज्यिक उद्देश्य के लिए की गई अन्य गतिविधियाँ हमेशा प्रत्येक मामले के तथ्यों और परिस्थितियों पर निर्भर करेंगी।

33. यह एक ऐसा मामला हो सकता है कि एक व्यक्ति जो वाणिज्यिक गतिविधियों में लगा हुआ है, उसने अपने व्यक्तिगत उपयोग या उपभोग के लिए या किसी लाभार्थी के व्यक्तिगत उपयोग के लिए सामान खरीदा है या सेवा का लाभ उठाया है और ऐसी खरीद उनकी सामान्य लाभ पैदा करने वाली गतिविधियों या स्व-रोज़गार के निर्माण से जुड़ी नहीं है, ऐसा व्यक्ति अभी भी उपभोक्ता होने का दावा कर सकता है और विभिन्न उदाहरणों की चर्चा के बाद उन व्यापक सिद्धांतों पर ध्यान दें के बाद चर्चा का सारांश दिया गया है जिन्हें यह निर्धारित करने के लिए निकाला गया था कि वह गतिविधि या लेनदेन एक वाणिज्यिक उद्देश्य के लिए है या नहीं, जो इस प्रकार दिया गया है:

"19. उपरोक्त चर्चा से संक्षेप में, हालाँकि हर मामले में एक ही सीधा सूत्र अपनाया नहीं जा सकता है, यह निर्धारित करने के लिए कि क्या कोई गतिविधि या लेनदेन "वाणिज्यिक उद्देश्य के लिए" है या नहीं, निम्नलिखित व्यापक सिद्धांतों पर विचार किया जा सकता है:

19.1. यह सवाल कि कोई लेन-देन वाणिज्यिक उद्देश्य के लिए है या नहीं, प्रत्येक मामले के तथ्यों और परिस्थितियों पर निर्भर करेगा। हालाँकि, *आम तौर पर*, "वाणिज्यिक उद्देश्य" को वाणिज्यिक संस्थाओं के बीच विनिर्माण/औद्योगिक गतिविधि या व्यावसायिक-व्यापार लेनदेन को शामिल करने के लिए समझा जाता है।

19.2. वस्तु या सेवा की खरीद का लाभ पैदा करने वाली गतिविधि के साथ घनिष्ठ और सीधा संबंध होना चाहिए।

19.3. खरीदारी करने वाले व्यक्ति की पहचान या लेन-देन का मूल्य इस सवाल के लिए निर्णायक नहीं है कि क्या यह एक वाणिज्यिक उद्देश्य के लिए है। यह देखना होगा कि क्या लेन-देन का प्रमुख आशय या प्रमुख उद्देश्य खरीदार और/या उनके लाभार्थी के लिए किसी प्रकार के लाभ सृजन की सुविधा प्रदान करना था।

19.4. यदि यह पाया जाता है कि वस्तु या सेवा खरीदने के पीछे का प्रमुख उद्देश्य खरीदार और/या उनके लाभार्थी के व्यक्तिगत उपयोग और उपभोग के लिए था, या अन्यथा किसी वाणिज्यिक गतिविधि से जुड़ा नहीं है, तो इस सवाल पर गौर करने की आवश्यकता नहीं है कि क्या ऐसी खरीद "स्व-रोज़गार के माध्यम से आजीविका पैदा करने" के उद्देश्य से थी।"

34. इस न्यायालय ने देखा कि लीलावती अस्पताल द्वारा किराए नर्सों को होस्टल की सुविधा प्रदान की गई थी, लेकिन परियोजना के पूरा होने के कुछ समय बाद कथित रूप से खराब भवन गुणवत्ता के कारण, संरचना जीर्ण-शीर्ण हो गई और नर्सिंग कर्मचारियों को उनके द्वारा उपयोग किए जा रहे फ्लैटों को खाली करना पड़ा और लीलावती अस्पताल द्वारा किराए की वार्षिक हानि के कारण मुआवज़े के लिए दायर एक उपभोक्ता शिकायत बनाए रखने योग्य थी और यह देखा जाना था कि क्या ट्रस्ट अधिनियम की धारा 2(1)(घ) के तहत उपभोक्ता था।

35. **लीलावती कीर्तिलाल मेहता मेडिकल ट्रस्ट** (पूर्वोक्त) के मामले में, इस न्यायालय ने यह पाया कि अपीलार्थी ट्रस्ट द्वारा फ्लैटों की खरीद और इसकी लाभ पैदा करने वाली गतिविधि के बीच कोई संबंध नहीं है क्योंकि फ्लैटों को अस्पताल के भीतर किसी भी चिकित्सा/नैदानिक सुविधाओं के लिए नहीं लिया गया था, लेकिन अस्पताल द्वारा नियुक्त नर्सों को रहने के लिए दिया गया था। दी गई परिस्थितियों में, इसका नर्सों को सुविधाएँ प्रदान करने में लाभ कमाने से कोई लेना-देना नहीं है और यह माना गया है कि ट्रस्ट विचाराधीन लेनदेन के लिए अधिनियम, 1986 की धारा 2(1)(घ) के तहत एक "उपभोक्ता" है।

36. इस प्रकार, जो महत्वपूर्ण है वह, वह लेन-देन है जिसके संबंध में एक व्यक्ति द्वारा अधिनियम, 1986 के तहत दावा दायर किया गया है, जो खुद को अधिनियम, 1986 की धारा 2(1)(घ) के तहत "उपभोक्ता" होने का दावा करता है, इस विषय पर कानून के इस तरह के विवरण को इस न्यायालय द्वारा हाल ही में **श्रीकांत जी. मंत्री बनाम पंजाब नेशनल बैंक** में दोहराया गया है और इस विषय पर विश्लेषण के बाद और **लीलावती कीर्तिलाल मेहता मेडिकल ट्रस्ट** (पूर्वोक्त) में इस न्यायालय के निर्णय पर ध्यान दिया गया है, जिसका संदर्भ देते हुए, प्रश्नगत तथ्यों पर मामले की

जाँच की गई और यह निष्कर्ष दर्ज किया गया कि विचाराधीन लेनदेन अधिनियम, 1986 के तहत क्षेत्राधिकार लागू करने के उद्देश्य से "उपभोक्ता" या "सेवाओं" शब्द की परिभाषा के अंतर्गत आएगा।

37. इस प्रकार, जो निष्कर्ष निकाला गया है वह यह है कि "उपभोक्ता" शब्द की परिभाषा से किसी वाणिज्यिक उद्यम या ऐसे व्यक्ति के लिए ऐसा कोई अपवर्जन नहीं है जो अधिनियम, 1986 की धारा 2(1)(घ) में परिभाषित "व्यक्ति" अभिव्यक्ति के तहत आता है, वह भी केवल इसलिए कि यह एक वाणिज्यिक उद्यम है। इसके विपरीत, एक फ़र्म चाहे पंजीकृत हो या नहीं, वह हमेशा अधिनियम, 1986 के अधिकार क्षेत्र का उपयोग कर सकती है, बशर्ते वह अधिनियम, 1986 की धारा 2(1)(घ) के तहत परिभाषित "उपभोक्ता" अभिव्यक्ति के दायरे और परिधि में आती हो।

38. वर्तमान मामले में उपरोक्त सिद्धांतों को लागू करते हुए, यह निर्धारित करने की आवश्यकता है कि क्या बीमा सेवा का लाभ पैदा करने वाली गतिविधि के साथ घनिष्ठ और प्रत्यक्ष संबंध है और क्या लेन-देन का प्रमुख आशय या प्रमुख उद्देश्य खरीदार और/या उनके लाभार्थी के लिए किसी प्रकार के लाभ सृजन को सुविधाजनक बनाना था। यह तथ्य कि बीमाकृत व्यक्ति एक वाणिज्यिक उद्यम है, इस निर्धारण से असंबंधित है कि क्या बीमा पॉलिसी को अधिनियम की धारा 2(1)(घ) के दायरे में एक वाणिज्यिक उद्देश्य के रूप में गिना जाएगा।

39. कर्नाटक पावर ट्रांसमिशन कॉरपोरेशन व अन्य बनाम अशोक आयरन वर्क्स प्राइवेट लिमिटेड के मामले में, इस न्यायालय ने प्रश्न का सकारात्मक उत्तर देते हुए कहा:

"17. यह बिना कहे समझी जाने वाली बात है कि किसी शब्द या अभिव्यक्ति की व्याख्या पाठ और संदर्भ पर निर्भर होती चाहिए। विधायिका द्वारा "शामिल" शब्द का सहारा लेना अक्सर विधायिका के आशय को दर्शाता है कि वह इस तरह की अभिव्यक्ति को व्यापक और विस्तृत अर्थ देना चाहती थी। हालाँकि, कभी-कभी, संदर्भ यह सुझाव दे सकता है कि "शामिल" शब्द को "अर्थ" के अर्थ के लिए बनाया गया हो सकता है। किसी अधिनियम की स्थापना, संदर्भ और प्रयोजन ऐसे अधिनियम के उद्देश्यों के लिए "शामिल" शब्द की व्याख्या के लिए पर्याप्त मार्गदर्शन प्रदान कर सकते हैं।

18. धारा 2(1)(ड) जो चार श्रेणियों की गणना करती है, अर्थात्,

(i) एक फ़र्म, चाहे वह पंजीकृत हो या नहीं;

(ii) एक हिंदू अविभाजित परिवार;

(iii) एक सहकारी समिति; और

(iv) व्यक्तियों का प्रत्येक अन्य संघ, चाहे वह सोसायटी पंजीकरण अधिनियम, 1860 (1860 का 21) के तहत पंजीकृत हो या नहीं, "व्यक्ति" को परिभाषित करते समय इसे प्रतिबंधात्मक नहीं माना जा सकता है और इन चार श्रेणियों तक ही सीमित नहीं रखा जा सकता है क्योंकि यह इन शब्दों में नहीं कहा गया है कि "व्यक्ति" का अर्थ गणना की गई चीजों में से एक या अन्य होगा, बल्कि यह उन्हें "शामिल" करेगा।

19. धारा 3(42) में सामान्य खंड अधिनियम, 1897 "व्यक्ति" को परिभाषित करता है:

"3. (42) 'व्यक्ति' में कोई भी कंपनी या संघ या व्यक्तियों का निकाय शामिल होगा, चाहे वह निगमित हो या नहीं;"

20. अधिनियम 1986 की धारा 3, जिस पर के.पी.टी.सी. के लिए विद्वान अधिवक्ता द्वारा निर्भरता रखी गई है, में प्रावधान है कि अधिनियम के प्रावधान उस समय लागू किसी अन्य कानून के अतिरिक्त हैं और उसका अल्पीकरण नहीं करते हैं। के.पी.टी.सी. के तर्क में मदद करने के बजाय यह प्रावधान यह सुझाव देगा कि 1986 के अधिनियम को (एस.आई.सी. के तहत) प्रदान किए गए उपचार तक पहुँच, अभिगम, प्रवेश उस समय लागू किसी भी अन्य कानून के प्रावधानों के अतिरिक्त है। यह किसी भी तरह से "व्यक्ति" की परिभाषा को प्रतिबंधित करने के लिए कोई संकेत नहीं देता है।

21. धारा 2(1)(ड), सभी प्रश्नों से परे एक व्याख्या खंड है, और विधायिका द्वारा "व्यक्ति" अभिव्यक्ति का अर्थ समझने के लिए इसे ध्यान में रखने का आशय रहा होगा क्योंकि यह धारा 2(1)(घ) में आता है। धारा 2(1)(ड) में "व्यक्ति" को परिभाषित करते हुए, विधायिका का आशय कभी भी कंपनी जैसे न्यायिक व्यक्ति को बाहर करने का नहीं था। वास्तव में, इसमें उल्लिखित गणना के माध्यम से चार श्रेणियाँ सांकेतिक हैं, श्रेणी (i), (ii) और (iv) गैर-निगमित हैं और श्रेणी (iii) निगमित है, जिसमें निगमित निकाय के साथ-साथ गैर-निगमित निकाय को शामिल करने का आशय है। धारा 2(1)(ड) में "व्यक्ति" की परिभाषा समावेशी है और संपूर्ण नहीं है। यह हमें किसी भी संदेह को स्वीकार करते हुए प्रतीत नहीं होता है कि कंपनी धारा 2(1)(घ) के अर्थ के भीतर एक व्यक्ति है जिसे धारा 2(1)(ड) के साथ पढ़ा जाता है और हम उसी के अनुसार मानते हैं।"

40. उपरोक्त परीक्षण को लागू करते हुए, दो निष्कर्ष निकलते हैं; (i) क्या माल पुनर्विक्रय के लिए या वाणिज्यिक उद्देश्य के लिए खरीदा गया है; या (ii) क्या सेवाओं का उपयोग किसी वाणिज्यिक उद्देश्य के लिए किया गया है। दो प्रकार का वर्गीकरण वाणिज्यिक उद्देश्य और गैर-वाणिज्यिक उद्देश्य है। यदि माल को पुनर्विक्रय या वाणिज्यिक उद्देश्य के लिए खरीदा जाता है, तो ऐसे उपभोक्ता को अधिनियम, 1986 के दायरे से बाहर रखा जाएगा। उदाहरण के लिए, यदि एक

निर्माता जो उत्पाद 'क' का उत्पादन कर रहा है, ऐसे उत्पादन के लिए उसे ऐसी वस्तुएँ खरीदने की आवश्यकता हो सकती है जो कच्चे माल के रूप में उपयोग की जा सकती हैं, तो ऐसी वस्तुओं की खरीद वाणिज्यिक उद्देश्य के लिए होगी। इसके विपरीत, यदि वही निर्माता अपने आवास पर या यहाँ तक कि अपने कार्यालय में उपयोग के लिए भी रेफ्रिजरेटर, टेलीविज़न या एयर कंडीशनर खरीदता है, तो उसका लाभ उत्पन्न करने से कोई प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष संबंध नहीं है, तो इसको वाणिज्यिक उद्देश्य के लिए नहीं माना जा सकता है और पूर्वनिर्धारित कारण से वह अधिनियम, 1986 के तहत उपभोक्ता पीठ से संपर्क करने के लिए योग्य है।

41. इसी तरह, एक अस्पताल जो एक चिकित्सक की सेवाओं को नियुक्त करता है, यह एक व्यावसायिक उद्देश्य होगा, लेकिन यदि कोई व्यक्ति अपनी बीमारी के लिए ऐसी सेवाओं का लाभ उठाता है, तो इसे एक गैर-वाणिज्यिक उद्देश्य माना जाएगा। "किसी भी वाणिज्यिक उद्देश्य के लिए" शब्दों के व्यापक अर्थ को समझते हुए, इसका अर्थ यह होगा कि खरीदी गई वस्तुओं या किराए पर ली गई सेवाओं का उपयोग किसी भी ऐसी गतिविधि में किया जाना, जिसका सीधा उद्देश्य लाभ उत्पन्न करना है। लाभ वाणिज्यिक उद्देश्य का मुख्य लक्ष्य है, लेकिन ऐसे मामले में जहाँ खरीदा गया माल या किराए पर ली गई सेवाएँ एक ऐसी गतिविधि है, जिसका प्रत्यक्ष रूप से लाभ उत्पन्न करने का आशय नहीं है, तो यह एक वाणिज्यिक उद्देश्य नहीं होगा।

42. दूसरे शब्दों में, इसे और स्पष्ट करने के लिए, आइए हम निश्चित उदाहरण दें कि क्या लेन-देन वाणिज्यिक उद्देश्य के लिए होता है या क्या शिकायतकर्ता को अधिनियम, 1986 के दायरे और परिधि में "उपभोक्ता" माना जा सकता है।

(i) एक चैरिटेबल ट्रस्ट एक सी.टी. स्कैन मशीन खरीदी गई और वह खराब पाई गई, अब प्रश्न उठाया गया कि क्या वह मशीनरी एक वाणिज्यिक उद्देश्य के लिए खरीदी गई थी और क्या अपीलार्थी एक उपभोक्ता था। तथ्यों के कथन से, **कल्पवृक्ष चैरिटेबल ट्रस्ट बनाम तोशनीवाल ब्रदर्स (बॉम्बे) प्राइवेट लिमिटेड और अन्य** के मामले में, इस न्यायालय ने माना कि मशीन चैरिटेबल ट्रस्ट वाणिज्यिक उद्देश्य के लिए खरीदी गई थी क्योंकि सी.टी. स्कैन कराने वाले प्रत्येक व्यक्ति को इसके लिए भुगतान करना पड़ता है और प्रदान की जाने वाली सेवाएँ मुफ्त नहीं होती हैं और इस प्रकार ट्रस्ट उपभोक्ता नहीं था।

(ii) **राजीव मेटल वर्क्स और अन्य बनाम मिनरल्स एंड मेटल ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन ऑफ़ इंडिया लिमिटेड** में, एक निर्माता ने वैधानिक प्राधिकरण के माध्यम से कच्चे

माल का आयात किया जो तैयार उत्पाद के निर्माण और बिक्री के लिए एक कैनालाइजिंग एजेंसी के रूप में कार्य करता था। अपीलार्थी ने राष्ट्रीय आयोग से संपर्क किया और आरोप लगाया कि प्रत्यर्थी ने अपीलार्थी द्वारा माँगी गई आवश्यक मात्रा की आपूर्ति नहीं की है। इस न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि खरीद एक वाणिज्यिक उद्देश्य के लिए थी और निर्माता अधिनियम, 1986 के उद्देश्य के लिए "उपभोक्ता" नहीं था।

(iii) जिस बैंक ने बीमा कंपनी से बैंकर की क्षतिपूर्ति बीमा पॉलिसी ली थी और उसकी एक शाखा में कुछ लेनदेन के कारण हानि हुई थी, उसने एक बीमा दावा किया जिसमें कहा गया था कि यह शाखा प्रबंधक की बेईमानी के कारण है और बीमा कंपनी ने इस दावे को यह कहते हुए खारिज कर दिया था कि कथित हानि शाखा प्रबंधक की कुछ बेईमानी के कारण हुई थी और यह वाणिज्यिक उद्देश्य के लिए था, हो सकता है कि वह उपभोक्ता न हो।

(iv) शिकायतकर्ता एक नैदानिक क्लिनिक चलाने वाली एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है और आरोप लगाती है कि शिकायतकर्ता द्वारा विपरीत पक्ष से खरीदी गई एक्सरे मशीन खराब थी। यदि कोई आपत्ति उठाई जाती है कि चूँकि मशीन वाणिज्यिक उद्देश्य के लिए खरीदी गई थी और शिकायतकर्ता को अधिनियम, 1986 के तहत परिभाषित उपभोक्ता नहीं कहा जा सकता है क्योंकि वह वाणिज्यिक उद्देश्य के लिए किराए किया गया है और लाभ के लिए व्यवसाय कर रहा है तो वास्तव में अधिनियम, 1986 के तहत शिकायतकर्ता उपभोक्ता नहीं है।

(v) एक कंपनी ने वाणिज्यिक उद्देश्य के लिए कंपनी के व्यवसाय के बेहतर प्रबंधन के लिए ई.पी.बी.एक्स. प्रणाली खरीदी और दोषपूर्ण प्रणाली की कथित आपूर्ति के लिए दायर शिकायत अधिनियम, 1986 की धारा 2(1)(घ) के व्याख्यात्मक खंड के दायरे में नहीं आ सकती क्योंकि लेन-देन का लाभ उत्पन्न करने के लिए कोई संबंध नहीं है।

43. इस प्रकार, अंत में जो निष्कर्ष निकाला जाता है वह यह है कि प्रत्येक मामले की जाँच उसके अपने तथ्यों और परिस्थितियों पर की जानी चाहिए और जिस बात की जाँच की जानी चाहिए वह यह है कि क्या कोई गतिविधि या लेनदेन लाभ उत्पन्न करने के लिए वाणिज्यिक उद्देश्य के लिए है और ऐसा कोई एक सीधा सूत्र नहीं हो सकता जिसे हर मामले में अपनाया जा सके, और प्रत्येक मामले की जाँच इस न्यायालय द्वारा निर्धारित व्यापक सिद्धांतों पर की जानी चाहिए, जिसके बारे में विस्तृत चर्चा की गई है।

44. वर्तमान मामले में उपरोक्त सिद्धांतों को लागू करते हुए, यह निर्धारित करने की आवश्यकता है कि क्या बीमा सेवा का लाभ उत्पन्न करने वाली गतिविधि के साथ घनिष्ठ और प्रत्यक्ष संबंध था और क्या लेनदेन का प्रमुख आशय या प्रमुख उद्देश्य बीमाकृत व्यक्ति या लाभार्थी के लिए किसी प्रकार के लाभ उत्पन्न करने की सुविधा प्रदान करना था और हमारा उत्तर नकारात्मक है और तदनुसार हमारा विचार है कि यहाँ बीमाकृत व्यक्ति द्वारा दायर की गई शिकायत का लाभ पैदा करने वाली गतिविधि के साथ कोई निकट या प्रत्यक्ष संबंध नहीं है और बीमा का दावा उस हानि की क्षतिपूर्ति के लिए है जो प्रत्यर्थी बीमाकृत था और जिसे आयोग ने सही माना है कि प्रत्यर्थी अधिनियम, 1986 की धारा 2(1)(घ) के तहत एक "उपभोक्ता" है।

45. हम आगे दोहराते हैं कि आम तौर पर बीमा संविदा की प्रकृति हमेशा हानि की भरपाई करने के लिए होती है। बीमा संविदाएँ क्षतिपूर्ति की संविदाएँ हैं जिनके द्वारा कोई व्यक्ति किसी अज्ञात या आकस्मिक घटना से उत्पन्न होने वाली हानि/क्षति या दायित्व के खिलाफ दूसरे को क्षतिपूर्ति करने का कार्य करता है और यह केवल भविष्य में आने वाली किसी आकस्मिकता या कार्य पर लागू होता है।

46. **यूनाइटेड इंडिया इश्योरेंस कंपनी लिमिटेड बनाम लेविस स्ट्रॉस (इंडिया) प्राइवेट लिमिटेड** में, इस न्यायालय ने निम्नलिखित निर्णय दिया है:

"53. बीमा का अनुबंध परिभाषित हानि की क्षतिपूर्ति के लिए होता है और हमेशा रहेगा, न इससे अधिक और न कम। विशिष्ट जोखिमों के मामले में, जैसे कि आग आदि के कारण होने वाली हानि से उत्पन्न होने वाले जोखिम, बीमाकृत व्यक्ति दोहरे बीमा से लाभ नहीं उठा सकता है और न ही लाभ उठा सकता है।

बहुत पहले, ब्रेट, कैस्टेलैन में एलजे बनाम प्रेस्टन [कैस्टेलैन बनाम प्रेस्टन, (1883) 11 क्यू.बी.डी. 380] ने कहा था कि: (क्यू.बी.डी. पृष्ठ 386)

"..... बीमा का अनुबंध ... क्षतिपूर्ति का अनुबंध है।... और यह कि इस अनुबंध का अर्थ है कि हानि की स्थिति में बीमाकृत व्यक्ति को पूरी तरह से क्षतिपूर्ति दी जाएगी, लेकिन कभी भी पूरी तरह से क्षतिपूर्ति से अधिक नहीं होगी।"

(ज़ोर दिया गया)

47. इस प्रकार, यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि तत्काल मामले में बीमा पॉलिसी को खरीदना स्पष्ट रूप से हानि/क्षति के जोखिम की क्षतिपूर्ति के लिए और लाभ उत्पन्न का कोई तत्व नहीं है और फिर भी इस न्यायालय द्वारा जो व्यक्त किया गया है वह उदाहरणात्मक है; यह हमेशा प्रत्येक मामले के तथ्यों पर जाँच करने के लिए खुला रहेगा, क्योंकि जिस लेनदेन के संदर्भ में दावा किया गया है, उसका लाभ उत्पन्न करने वाली गतिविधि के साथ कोई निकट और प्रत्यक्ष संबंध है।

48. हम अपीलकर्ता की ओर से की गई इस दलील से सहमत नहीं हैं कि यदि बीमा दावे अधिनियम, 1986 के तहत आते हैं, तो लगभग सभी बीमा मामले अधिनियम, 1986 के दायरे में आ जाएँगे और यह अधिनियम, 2015 को निरर्थक बना देगा। हमारे विचार में, इन दोनों अधिनियमों के अलग-अलग दायरे और परिधि हैं और अलग-अलग उपचारात्मक तंत्र हैं, अलग-अलग मामलों में हैं इनका कोई आंतरिक संबंध नहीं है।

49. नतीजतन, अपीलें आधारहीन हैं और तदनुसार खारिज कर दी जाती हैं। इसके लिए कोई जुर्माना नहीं है।

50. राज्य आयोग प्रत्यर्थी की शिकायत विधि अनुसार गुणागुण के आधार पर निर्णय ले सकता है और क्योंकि यह एक पुराना मामला है, जिस पर जल्द से जल्द निर्णय लिया जाए, लेकिन किसी भी मामले में एक साल के बाद नहीं।

51. लंबित आवेदन(नों), यदि कोई हो, का निपटान किया जाएगा।

सिविल अपील सं. 5354/2007 - (यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड बनाम मेसर्स दिवाकर गोइराम पोर्कायत)

52. वर्तमान अपील राष्ट्रीय आयोग द्वारा दिनांक 3 दिसंबर, 2004 को पारित आदेश के खिलाफ निर्देशित की गई है जिसमें कहा गया है कि मामले के तथ्यों में प्रत्यर्थी (वाणिज्यिक इकाई) द्वारा ली गई बीमा पॉलिसी केवल उस हानि की क्षतिपूर्ति के लिए थी जो प्रत्यर्थी/शिकायतकर्ता को हुआ है और जिस लेनदेन के संबंध में अपीलार्थी द्वारा बीमा दावे को अस्वीकार कर दिया गया है, उसका लाभ पैदा करने वाली गतिविधि के साथ कोई सीधा संबंध नहीं था और अधिनियम, 1986 की धारा 2(1)(घ) के तहत परिभाषित "उपभोक्ता" था।

53. प्रत्यर्थी/शिकायतकर्ता (बीमाकृत व्यक्ति) "खज़ाना ज्वेलर्स" के नाम और शैली में आभूषणों की बिक्री और खरीद का व्यवसाय कर रहा है जिसने अपीलार्थी से व्यवसाय में आभूषणों के जोखिम की क्षतिपूर्ति के लिए 21 अक्टूबर, 1999 से 20 अक्टूबर, 2000 की अवधि के लिए बीमा पॉलिसी प्राप्त की है।

54. 24 जून, 2000 को, लगभग सुबह 7.00 बजे जब प्रत्यर्थी के एक कर्मचारी ने देखा कि शोरूम का शटर आधा खुला था और यह चोरी होने का संकेतक था और निरीक्षण करने पर, यह पाया गया कि 20, 55,200/- रुपये के मूल्य का सामान शोरूम से चोरी हो गया था।

55. प्रत्यर्थी द्वारा हानि की क्षतिपूर्ति के लिए किए जा रहे दावे पर, अपीलार्थी द्वारा इसे अस्वीकार कर दिया गया था और जिसे प्रत्यर्थी द्वारा राज्य आयोग, अहमदाबाद के समक्ष एक उपभोक्ता शिकायत दर्ज करके चुनौती दी गई थी, जिसे इस आधार पर खारिज कर दिया गया था कि प्रत्यर्थी 1 अप्रैल, 2004 के एक आदेश द्वारा अधिनियम, 1986 की धारा 2(1)(घ) के दायरे में "उपभोक्ता" नहीं था।

56. प्रत्यर्थी ने लेन-देन की प्रकृति को ध्यान में रखते हुए और 3 दिसंबर, 2004 के मैसर्स हरसोलिया मोटर्स के मामले में आयोग के आदेश पर भरोसा करते हुए राष्ट्रीय आयोग के समक्ष एक अपील द्वारा खारिज करने के आदेश को चुनौती दी, आयोग ने अभिनिर्धारित किया कि जिस लेन-देन के संदर्भ में प्रत्यर्थी द्वारा बीमा दावा उठाया गया है, उसका लाभ पैदा करने वाली गतिविधि से कोई सीधा संबंध नहीं है और बीमा केवल चोरी के कारण या प्राकृतिक आपदा द्वारा होने वाली हानि की क्षतिपूर्ति, यदि कोई हो, के लिए प्राप्त किया गया था और राष्ट्रीय आयोग द्वारा 3 दिसंबर, 2004 को पारित आदेश हमारे समक्ष अपील में चुनौती का विषय है।

57. सिविल अपील संख्या 5352-5353/2007 (नेशनल इश्योरेंस कंपनी लिमिटेड बनाम हरसोलिया मोटर्स और अन्य) में आज हमारे द्वारा पारित निर्णय के आलोक में, वर्तमान अपील आधारहीन है और तदनुसार खारिज कर दी जाती है। इसके लिए कोई जुर्माना नहीं है।

58. शिकायत को राज्य आयोग की फ़ाइल पर पुनर्स्थापित किया जाता है और उस पर विधि के अनुसार अपने गुण-दोष के आधार पर निर्णय लिया जाता है और

यथासंभव शीघ्रता से निर्णय लिया जा सकता है, लेकिन किसी भी मामले में एक वर्ष के बाद नहीं।

59. लंबित आवेदन, यदि कोई हों, का निपटान किया जाएगा।

सिविल अपील सं. 2821/2012 - नेशनल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड बनाम मैसर्स अंकुर और अन्य।

60. अपील के तहत राष्ट्रीय आयोग द्वारा 15 दिसंबर, 2010 को निर्णय पारित किया गया है।

61. मामले के संक्षिप्त तथ्य यह हैं कि प्रत्यर्थी थोक में कपड़ों के व्यवसाय में लगा हुआ है, जिसने 6 जनवरी, 2006 से 5 जनवरी, 2007 तक की अवधि के लिए एक मानक अग्नि और संकट पॉलिसी ली, जिसकी कुल राशि Rs.60, 00,000/ थी। जिसमें 28 दिसंबर, 2006 को आग लग गई थी जिसके परिणामस्वरूप प्रत्यर्थी के कारखाने को क्षति पहुँची थी। अपीलार्थी ने अंतिम सर्वेक्षण के लिए स्पाॅट सर्वेक्षक, मैसर्स एपेक्स सर्वेयर्स प्राइवेट लिमिटेड को नियुक्त किया, जिसने 22 दिसंबर, 2008 को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की, जिसमें 1 लाख रुपये की रक्षित संपत्ति राशि की कटौती और आग लगने के बाद बचाए गए 51,969/ रुपए के सही भंडार को शामिल करने के बाद 53,17,790 रुपये की हानि का आकलन किया गया। अपीलार्थी ने दावा किया कि प्रत्यर्थी आकलनकर्ता को निश्चित दस्तावेज़ जमा करने में विफल रहा है और इसलिए, इस आधार पर आकलन को अमान्य माना जा सकता है। इस बीच, केनरा बैंक (सुरक्षित लेनदार) द्वारा प्रत्यर्थी के खिलाफ़ सरफ़ेसी की कार्यवाही शुरू की गई।

62. जब प्रत्यर्थी के दावे पर कार्रवाई की जा रही थी, तो प्रत्यर्थी ने ब्याज के साथ 60,00,000/- रुपये का दावा करते हुए राज्य आयोग के समक्ष शिकायत दर्ज कराई। इस स्तर पर, अपीलार्थी ने एक प्रारंभिक आपत्ति दायर की कि प्रत्यर्थी अधिनियम 1986 की धारा 2(1)(घ) की परिभाषा के अंतर्गत एक "उपभोक्ता" नहीं है। राज्य आयोग ने एक स्तर पर यह अभिनिर्धारित किया था कि प्रत्यर्थी वाणिज्यिक गतिविधि में लगा हुआ है और इसलिए वह उपभोक्ता नहीं है। राज्य आयोग द्वारा वापस किए गए निष्कर्ष को राष्ट्रीय आयोग द्वारा 15 दिसंबर, 2012

के अपने आदेश के तहत उलट दिया गया था, जिसमें कहा गया था कि बीमा कंपनी द्वारा अपनी सेवाओं का लाभ उठाने वाली वाणिज्यिक संस्था अधिनियम 1986 की धारा 2(1)(घ) के संदर्भ में लेनदेन के संदर्भ में एक "उपभोक्ता" है।

63. हमने सिविल अपील सं. 5352-5353/2007 (नेशनल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड बनाम हरसोलिया मोटर्स और अन्य) में विस्तृत कारण बताए हैं। उपरोक्त अपील में आज हमारे द्वारा पारित निर्णय के आलोक में, वर्तमान अपील आधारहीन है और तदनुसार खारिज कर दी जाती है। इसके लिए कोई जुर्माना नहीं है।

64. शिकायत को राज्य आयोग की फ़ाइल पर पुनर्स्थापित किया जाता है और उस पर विधि के अनुसार अपने गुण-दोष के आधार पर निर्णय लिया जाता है और यथासंभव शीघ्रता से निर्णय लिया जा सकता है, लेकिन किसी भी मामले में एक वर्ष के बाद नहीं।

65. यह हमारे संज्ञान में लाया गया है कि इस न्यायालय के 11 मई, 2011 के आदेश के अनुसार, अपीलार्थी ने प्रत्यर्थी द्वारा किए गए दावे का 50% जमा कर दिया था और 15 फ़रवरी, 2023 की कार्यालय रिपोर्ट बताती है कि 16 जुलाई 2023 की परिपक्वता तिथि के साथ सावधि जमा में 59,74,814/ रुपये की राशि का निवेश किया गया था। राशि को राज्य आयोग को हस्तांतरित किया जाए और सावधि जमा में निवेश किया गया धन जारी रहेगा और स्वचालित नवीनीकरण के आधार पर ब्याज वाले खाते में निवेश किया जा सकता है और पक्ष राज्य आयोग के आदेशों का पालन करना करेंगे।

66. लंबित आवेदनों, यदि कोई हों, का निपटान किया जाएगा।

सिविल अपील सं. 3350/2018 - द बैंक ऑफ़ न्यूयॉर्क मेलॉन (पूर्व में द बैंक ऑफ़ न्यूयॉर्क) बनाम मैसर्स मेटको एक्सपोर्ट इंटरनेशनल और अन्य।

67. अपीलार्थी ने राष्ट्रीय आयोग द्वारा पारित 6 फ़रवरी, 2018 के निर्णय और आदेश के खिलाफ़ विशेष अनुमति द्वारा वर्तमान अपील दायर की है।

68. मामले के संक्षिप्त तथ्य यह हैं कि प्रत्यर्थी सं. 1 ने 141,375 अमेरिकी डॉलर में तिल और तेल के बीज के पाँच कंटेनरों की आपूर्ति के लिए एक तीसरे पक्ष (प्रत्यर्थी सं. 1 का एक इतालवी खरीदार) के साथ लेनदेन किया। इस लेनदेन के

संबंध में, इटली में खरीदार के बैंकर को चालान, लदान के बिल, सर्वेक्षक का प्रमाण पत्र, विनिमय के बिल, फाइटोसैनिटरी प्रमाण पत्र और अन्य संबंधित दस्तावेज़ (चार दस्तावेज़) भेजने के लिए फ़ेडरल बैंक लिमिटेड (प्रत्यर्थी सं. 2) की सेवाओं का लाभ उठाया गया था। प्रत्यर्थी सं. 2 ने इटली में खरीदार के बैंकर को निर्यात दस्तावेज़ वितरित करने के लिए अपीलार्थी की सेवाएँ लीं, जिसके बदले में एक कूरियर कंपनी (प्रत्यर्थी सं. 3) की सेवाएँ ली गईं। निर्यात दस्तावेज़ पारगमन में खो गए थे।

69. प्रत्यर्थी सं. 1 ने अपीलार्थी, प्रत्यर्थी सं. 2 और प्रत्यर्थी सं. 3 के खिलाफ़ राज्य आयोग के समक्ष एक उपभोक्ता शिकायत दर्ज की। शिकायत को इस आधार पर खारिज कर दिया गया कि प्रत्यर्थी संख्या 1 उपभोक्ता नहीं है जैसा कि 10 दिसंबर 2013 के एक आदेश द्वारा अधिनियम 1986 की धारा 2(1)(घ) के तहत परिभाषित है, जो **लक्ष्मी इंजीनियरिंग वर्क्स** (पूर्वोक्त) में निर्णय पर भरोसा करते हुए और **मैसर्स हरसोलिया मोटर्स** के मामले में निर्णय को ध्यान में रखते हुए, राष्ट्रीय आयोग के समक्ष अपील में प्रत्यर्थी सं. 1 के कहने पर चुनौती का विषय बन गया, राष्ट्रीय आयोग ने एक निष्कर्ष दर्ज किया कि बैंक द्वारा कागज़ातों का प्रेषण जो पारगमन में खो गया था और इतालवी खरीदार द्वारा कभी स्वतः प्राप्त नहीं हुआ था, प्रत्यर्थी के लिए कोई लाभ उत्पन्न करने से संबंधित नहीं है क्योंकि वास्तविक लाभ निर्यातित वस्तुओं की बिक्री से आएगा जिसका लाभ पैदा करने वाली गतिविधि से कोई संबंध नहीं है।

70. हमारे द्वारा पक्षों के अधिवक्ता को सुनने के बाद और सिविल अपील सं. 5352-5353/2007 (नेशनल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड बनाम हरसोलिया मोटर्स और अन्य) में इस न्यायालय द्वारा व्यक्त किए गए विचार पर विचार करने के बाद, वर्तमान अपील आधारहीन है और तदनुसार खारिज कर दी जाती है। इसके लिए कोई जुर्माना नहीं है।

71. शिकायत को राज्य आयोग की फ़ाइल पर पुनर्स्थापित किया जाता है और उस पर विधि के अनुसार अपने गुण-दोष के आधार पर निर्णय लिया जाता है और यथासंभव शीघ्रता से निर्णय लिया जा सकता है, लेकिन किसी भी मामले में एक वर्ष के बाद नहीं।

72. लंबित आवेदन, यदि कोई हों, का निपटान किया जाएगा।

सिविल अपील सं. /2023

(@विशेष अनुमति याचिका (सिविल) सं 1039/2020) - इफ़को टोक्यो जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड बनाम मैसर्स ओ.पी.जी. एनर्जी (प्राइवेट) लिमिटेड।

73. अनुमति दी गई।

74. वर्तमान अपील राष्ट्रीय आयोग द्वारा 27 सितंबर, 2019 को पारित निर्णय और आदेश के खिलाफ़ अपील करने के लिए विशेष अनुमति द्वारा दायर की गई है।

75. हमने पक्षकारों के अधिवक्ता को सुना है और इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि शुरू में 12 सितंबर, 2014 को उपभोक्ता फोरम द्वारा अपीलार्थी के खिलाफ़ एक पक्षीय आदेश पारित किया गया था, जिसके अनुसार अपीलार्थी को शिकायत की तारीख से अर्थात् 8 अप्रैल, 2011 से 9% प्रति वर्ष के ब्याज सहित 9,57,903 रुपये और मुकदमेबाज़ी के लिए 5,000 रुपये का भुगतान करने का निर्देश दिया गया था। राज्य आयोग और राष्ट्रीय आयोग के समक्ष अपीलार्थी द्वारा दायर अपील/पुनरीक्षण, दोनों को क्रमशः 25 जून, 2019 और 27 सितंबर, 2019 के आदेश द्वारा खारिज कर दिया गया था।

76. हम पक्षकारों के अधिवक्ता को सुनने के बाद, आक्षेपित आदेश में हस्तक्षेप करने का कोई कारण नहीं पाते हैं और उसी के अनुसार इसे खारिज कर दिया जाता है। इसके लिए कोई जुर्माना नहीं है।

77. लंबित आवेदनों, यदि कोई हों, का निपटान किया जाएगा।

.....न्या.
(अजय रस्तोगी)

.....न्या.
(सी.टी. रविकुमार)

नई दिल्ली;

13 अप्रैल, 2023।

(Translation has been done through AI Tool: SUVAS)

Disclaimer: *The translated judgment in vernacular language is meant for the restricted use of the litigant to understand it in his/her language and may not be used for any other purpose. For all practical and official purposes, the English version of the judgment shall be authentic and shall hold the field for the purpose of execution and implementation.*

अस्वीकरण: देशी भाषा में निर्णय का अनुवाद मुकद्दोबाज़ के सीमित प्रयोग हेतु किया गया है ताकि वो अपनी भाषा में इसे समझ सकें एवं यह किसी अन्य प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीं किया जाएगा। समस्त कार्यालयी एवं व्यावहारिक प्रयोजनों हेतु निर्णय का अंग्रेज़ी स्वरूप ही अभिप्रमाणित माना जाएगा और कार्यान्वयन तथा लागू किए जाने हेतु उसे ही वरीयता दी जाएगी।